न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–**4405 सन् 2026**

सुभाष पुत्र रनवीर निवासी ग्राम औरंगाबाद चांदौक थाना जहांगीराबाद, जिला बुलन्दशहर।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्याः–426 सन् 2026

अन्तर्गत धाराः–191(2), 191(3), 115(2), 352, 109(1) बी0एन0एस0एस0

थानाः– जहॉगीराबाद, जिला बुलन्दशहर,

–:: निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र ::–

01. आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र उपरोक्त प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

03. संक्षेप में प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथन इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा बबीता द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की सूचना दी गयी कि दिनॉक–5.8.2026 को समय करीब 20.30 बजे उसका पुत्र अनुज कुमार के साथ पुरानी रंजिश को लेकर ऋषभ द्वारा गाली गलौंच करते हुए मारपीट की। मौजूद लोगो द्वारा बीच बचाव किया गया। इसके पश्चात सुभाष, ऋषभ व रितिक द्वारा उसके पुत्र अनुज को साथ एकराय होकर, जब वादिनी का पुत्र घर के बाहर गली में खड़ा था, कुल्हाडी/ तेजधारदार हथियारों से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आये वादिनी के पति राजकुमार पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया जिससे उसके पति व पुत्र के सिर में गम्भीर चोटें आयी हैं। उसके पति व पुत्र की गम्भीर स्थिति बनी हुई है। अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित हुई।

04. आवेदक/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत कर कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं है, उसें झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करायी गयी है। कथित घटना की दिनॉक पर आवेदक/ अभियुक्त के नाबालिग पुत्र ऋषभ व रितिक, वादिनी के पुत्र अनुज व विकास के साथ खेल रहे थे और बच्चो में खेलते समय कहासुनी हा गयी, जिसके चलते समय करीब 9.00 बजे वादिनी मुकदमा, उसके पति व पुत्र आदि ने एकराय मशविरा होकर लाठी डण्डे व कुल्हाड़ी तथा धारदार हथियार लेकर गालियॉ देते हुए उसके घर के अन्दर घुस आये और सभी ने आवेदक/ अभियुक्त के नाबालिग पुत्रो के साथ जान से मारने की नीयत वार किया, जिसमें आवेदक/ अभियुक्त व उसकी पत्नी बचाने आये तो उक्त लोगो ने उनके साथ मारपीट की और वादिनी ने आवेदक/ अभियुक्त की पत्नी के कानों के सोने के कुण्डल तोड़ लिये। आवेदक/ अभियुक्त की पत्नी व उसके बच्चे क सिर व पसली व शरीर में काफी गम्भीर चोटें आयी हैं। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन कथनों के आधारों पर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

05. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) द्वारा प्राथमिकी मे वर्णित तथ्यों पर बल देते हुये जमानत प्रार्थना पत्र का पुरजोर विरोध करते हुये कथन किया गया है कि आवेदक/ अभियुक्त की अपराध में सक्रिय भूमिका है। आरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है तथा प्रकरण की सही व निष्पक्ष विवेचना निष्पादित किए जाने, साक्ष्य संकलन व घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी हेतु अभियुक्त को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2026.08.19 18:14:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जानी आवश्यक है। इन कथनों के आधार पर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

06. प्रपत्रों का अवलोकन किया।

07. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/ अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसके द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के पति व पुत्र के साथ मारपीट कर उन्हें गम्भीर उपहति कारित की गयी तथा गालियॉ देकर अपमानित किया गया।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौज0 द्वारा कथन किया गया है कि प्रकरण में विवेचना प्रचलित है तथा प्रकरण की सही व निष्पक्ष विवेचना निष्पादित किए जाने, साक्ष्य संकलन व घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी हेतु अभियुक्त को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जानी आवश्यक है।

विधि–व्यवस्था **अदरी धरन दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य(2005)4 एस0सी0सी0 303** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि, अभियुक्त की गिरफ्तारी का उद्देश्य अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना मात्र नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त अन्य उद्देश्य भी होते हैं। अभियुक्त से घटना के उद्देश्य, तैयारी, घटना से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों की जानकारी, घटना के परिणाम आदि के सम्बन्ध में विस्तृत पूछतांछ की आवश्यकता हो सकती है। विवेचना के बाधारहित अग्रसारित होने, साक्षी व पीड़ित व्यक्ति से सम्बन्धित व्यक्तियों की सुरक्षा सु. निश्चित करने व समाज में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अभियुक्त की स्वतंत्रता का हनन आवश्यक हो सकता है। उक्त सभी कारणों से अभियुक्त की गिरफ्तारी विवेचना का आवश्यक अंग हो जाती है। न्यायालय को संज्ञेय अपराध की विवेचना व उसके सम्बन्ध में गिरफ्तारी में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

विधि–व्यवस्था **पी0 चिदम्बरम बनाम एन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट क्रिमिनल अपील नं0–1340/2019** के प्रस्तर–60 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि, संज्ञेय अपराध की विवेचना का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से विवेचना करने वाली एजेंसी के पास होता है, जिसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि, विवेचक अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग नहीं करता और विधि द्वारा दी गयी परिसीमाओं में अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। धारा–438 दं0प्र0संहिता द्वारा प्रदत्त शक्ति असाधारण शक्ति है, जिसके प्रयोग में संयम बरतना चाहिए। गिरफ्तारी पूर्व जमानत केवल अपवादिक मामलों में ही दी जानी चाहिए। अग्रिम जमानत कुछ सीमा तक अपराध की विवेचना में हस्तक्षेप करती है। अतः न्यायालय को अग्रिम जमानत देने के अधिकार का प्रयोग करते समय अत्यन्त सावधान रहना चाहिए। यह असाधारण अनुतोष असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1998 से सम्बन्धित सी0बी0आई0 बनाम अनु शर्मा (1997) 7 एस0सी0सी0 187 के मामले में सी0बी0आई0** की ओर से प्रस्तुत किये गये इस तर्क को सारवान माना है कि, अभियुक्त से उसके अभिरक्षा में रहने के दौरान की गयी पूछतांछ (Custodial Interrogation) उस अभियुक्त, जिसके पक्ष में धारा–438 दं0प्र0संहिता के अन्तर्गत आदेश पारित किया जा चुका है, से की गयी पूछतांछ से गुणवत्ता में अधिक व्याख्यानात्मक होती है। उक्त मामले में निर्णय देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि, ऐसे मामले में विवेचना में सफलता मुश्किल होगी यदि संदिग्ध व्यक्ति विवेचना में पूछतांछ के दौरान यह जानता है कि, वह गिरफ्तारी पूर्व आदेश से सुरक्षित है। प्रायः ऐसी परिस्थिति में विवेचना एक औपचारिकता मात्र बनकर रह जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह मत व्यक्त किया है कि, अग्रिम जमानत पर निर्णय लेते समय किसी तथ्य को उतना ही महत्व देना आवश्यक नहीं है, जितना नियमित जमानत (गिरफ्तारी के उपरान्त जमानत) पर दिया जाता है।

अभियोजन के अनुसार अब तक की विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि आवेदक/ अभियुक्त तथा सह अभियुक्तगण द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर वादिनी मुकदमा के पुत्र अनुज के साथ कुल्हाड़ी/तेज धारदार हथियार से मारपीट कर उसे गम्भीर चोटें पहुॅचायी गयीं। जब वादिनी का पति राजकुमार उसे बचाने आया तो उसके साथ भी मारपीट कर उसे गम्भीर चोटे पहुॅचायी गयीं।

चोटहिल अनुज राघव की आघात आख्या में उसे चोट संख्या–1 फटा हुआ घाव सिर के बॉयी ओर, जिसको जेरे निगरानी रखते हुए एक्स–रे/ सी.टी. की सलाह दी गयी है, चोट संख्या–2 फटा हुआ घाव दाहिनी तरफ सिर पर, जिसको जेरे निगरानी रखते हुए एक्स–रे/ सी. टी. की सलाह दी गयी है तथा चोट संख्या–3 फटा हुआ घाव दाहिनी तरफ सिर पर, जिसको जेरे निगरानी रखते हुए एक्स–रे/ सी.टी. की सलाह दी गयी है।

चोटहिल राजकुमार की आघात आख्या में उसे चोट संख्या–1 फटा हुआ घाव सिर पर दाहिनी तरफ जिसको जेरे निगरानी रखते हुए एक्स–रे/ सी.टी. की सलाह दी गयी है तथा चोट संख्या–2 खरोंच व नीलगूयुक्त सूजन दाहिनी तरफ चेहरे पर, जिसको जेरे निगरानी रखते हुए एक्स–रे की सलाह दी गयी है, आना दर्शित किया गया है।

आवेदक/ अभियुक्त प्राथमिकी में नामित है। आवेदक/ अभियुक्त की अपराध में प्रथम दृष्टया सक्रिय भूमिका दर्शित है। आरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। ऐसी दशा में अभियोजन के इस तर्क में बल प्रतीत होता है कि प्रकरण की सही व निष्पक्ष विवेचना निष्पादित किए जाने, साक्ष्य संकलन व घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी हेतु अभियुक्त को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जानी आवश्यक है।

अभिकथित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि इस स्तर पर न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिससे यह परिलक्षित हो कि आवेदक/ अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराने का उद्देश्य उसको गिरफ्तार कराकर अपमानित करना हो। आवेदक/ अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार आवेदक/ अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

आवेदक/ अभियुक्त सुभाष का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(संजय सिंह–।)
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

दिनांक : 19.08.2026
शिवम गौड़–पी.ए.

आई0डी0 क्रमांक–यू0पी0–2015